भाग – क

राजस्व क्षेत्र

अध्याय I

सामान्य

अध्याय-I: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया कर एवं कर-इतर राजस्व, भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्क की शुद्ध प्राप्तियों में राज्य का भाग और भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुरूप आंकड़ों की स्थिति **तालिका 1.1** में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.1

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	**राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व**					
	• कर राजस्व[1]	42,712.92	44,371.66	50,605.41	57,380.34	59,244.98
	• कर-इतर राजस्व[2]	10,927.87	11,615.57	15,733.72	18,603.01	15,714.16
	योग	**53,640.79**	**55,987.23**	**66,339.13**	**75,983.35**	**74,959.14**
2	**भारत सरकार से प्राप्तियां**					
	• विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में भाग[3]	27,915.93	33,555.86	37,028.01	41,852.35	36,049.14
	• सहायतार्थ अनुदान[4]	18,728.40	19,482.91	23,940.04	20,037.32	29,105.53
	योग	**46,644.33**	**53,038.77**	**60,968.05**	**61,889.67**	**65,154.67**
3	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 और 2)**	1,00,285.12	1,09,026.00	1,27,307.18	1,37,873.02	1,40,113.81
4	**1 का 3 से प्रतिशत**	53	51	52	55	53

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 74,959.14 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,40,113.81 करोड़) का 53 प्रतिशत रहा। वर्ष 2019-20 में शेष 47 प्रतिशत प्राप्तियां भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में हिस्सा एवं सहायतार्थ अनुदान से प्राप्त हुई थी।

---

1 ब्यौरे के लिये कृपया इस अध्याय की तालिका 1.2 देखें।

2 ब्यौरे के लिये कृपया इस अध्याय की तालिका 1.3 देखें।

3 ब्यौरे के लिये कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2019-20 के वित्त लेखे की विवरण संख्या-14-लघु शीर्षवार राजस्व के विस्तृत लेखे देखें। वित्त लेखों में कर राजस्व के अन्तर्गत प्रदर्शित मद शीर्ष 0005-केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर, 0008- एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, 0020- निगम कर, 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0028-आय एवं व्यय पर अन्य कर, 0032-संपदा पर कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं 0044-सेवा कर और 0045-वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क प्राप्तियां एवं अन्य विभाजित होने वाले संघीय कर सम्मिलित है।

4 ब्यौरे के लिये कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2019-20 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या 14 में मुख्य शीर्ष 1601 देखें।

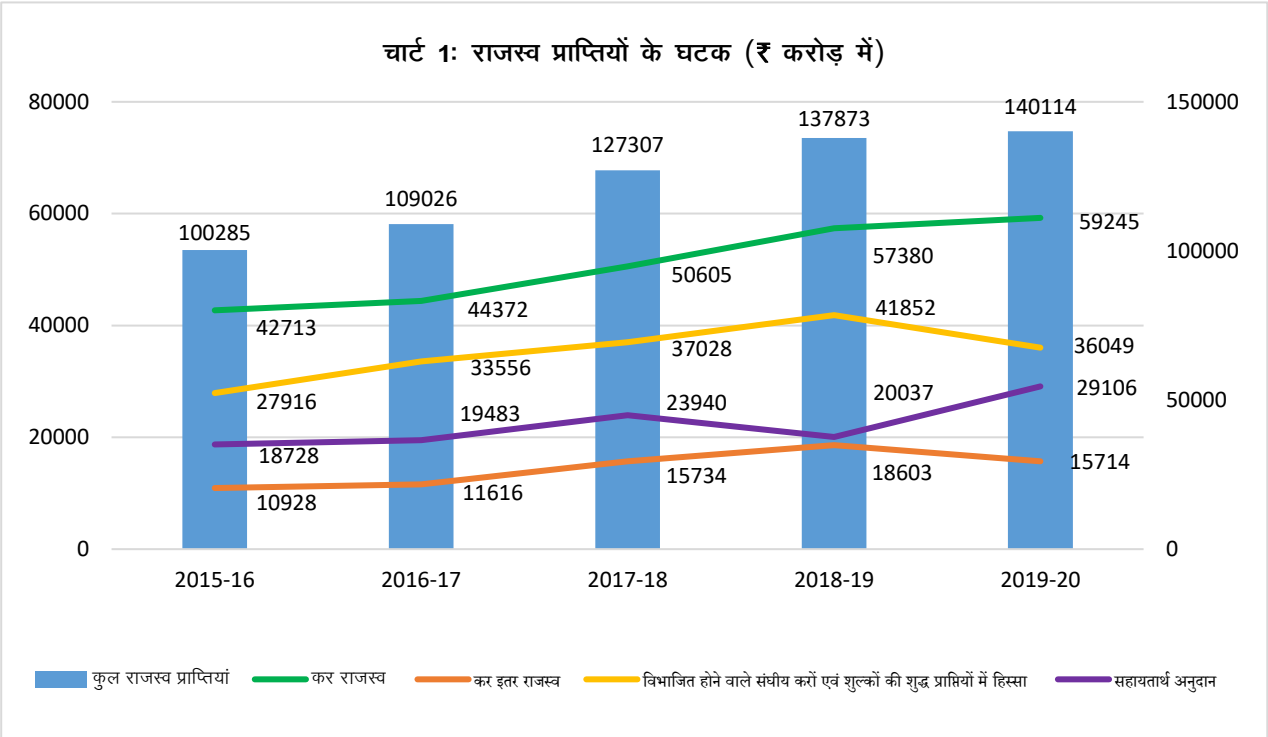

1.1.2 अवधि 2015-16 से 2019-20 के दौरान एकत्रित कर राजस्व के संबंध में संशोधित अनुमान व वास्तविक प्राप्तियों का विवरण **तालिका 1.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	संशोधित अनुमान / वास्तविक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2019-20 में 2018-19 पर वृद्धि (+)/कमी (-) की प्रतिशतता
1	बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर	संशोधित अनुमान	27,635.00	27,767.60	18,800.00	15,900.00	19,262.16	
		वास्तविक	24,878.67	27,151.54	18,285.44	14,225.31	15,361.61	(+) 7.98
	केन्द्रीय बिक्री कर	संशोधित अनुमान	1,615.00	1,227.40	700.00	600.00	737.83	
		वास्तविक	1,466.10	1,406.88	722.80	565.65	481.15	(-) 14.94
2	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	संशोधित अनुमान	-	-	11,700.00	23,500	25,605.23	
		वास्तविक	-	-	12,137.02	22,938.33	21,954.17	(-) 4.29
3	आबकारी शुल्क	संशोधित अनुमान	6,350.00	7,600.00	7,800.00	9,300	10,500.00	
		वास्तविक	6,712.94	7,053.68	7,275.83	8,694.10	9,591.63	(+) 10.32
4	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क							
	मुद्रांक-न्यायिक	संशोधित अनुमान	105.00	103.34	92.58	104.07	84.79	
		वास्तविक	97.45	73.94	59.78	60.70	61.88	(+)1.94
	मुद्रांक-गैर न्यायिक	संशोधित अनुमान	2,785.00	2,701.00	3,346.15	4,035.94	4,615.82	
		वास्तविक	2,574.88	2,502.86	3,070.79	3,255.34	3,544.91	(+) 8.90
	पंजीयन शुल्क	संशोधित अनुमान	560.00	445.66	611.27	609.99	649.37	
		वास्तविक	561.67	476.45	544.21	569.99	627.94	(+) 10.17
5	मोटर वाहनों पर कर	संशोधित अनुमान	3,300.00	3,650.00	4,300.00	5,000	5,650.00	
		वास्तविक	3,199.44	3,622.83	4,362.97	4,576.45	4,950.98	(+) 8.18

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	संशोधित अनुमान / वास्तविक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2019-20 में 2018-19 पर वृद्धि (+)/कमी (-) की प्रतिशतता
6	विद्युत पर कर एवं शुल्क	संशोधित अनुमान	2,000.00	2,172.00	3,500.00	2,339.50	2,804.01	
		वास्तविक	1,921.29	738.24	3,376.67	2,147.95	2,262.77	(+) 5.35
7	भू-राजस्व	संशोधित अनुमान	320.00	359.01	566.71	463.16	404.98	
		वास्तविक	272.4	314.69	363.86	289.94	364.49	(+) 25.71
8	माल एवं यात्रियों पर कर	संशोधित अनुमान	800.00	750.00	328.00	37.57	35.00	
		वास्तविक	847.72	803.28	340.78	50.79	41.12	(-) 19.03
9	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	संशोधित अनुमान	171.79	200.00	62.00	28.38	24.03	
		वास्तविक	170.96	220.08	63.93	5.14	1.01	(-) 80.35
10	अन्य कर[5] इत्यादि	संशोधित अनुमान	50.20	10.00	10.00	10.00	1.00	
		वास्तविक	9.32	7.19	1.33	0.65	1.32	(+) 103.08
	योग	संशोधित अनुमान	**45,691.99**	**46,986.01**	**51,816.71**	**61,928.61**	**70,374.22**	
		वास्तविक	**42,712.92**	**44,371.66**	**50,605.41**	**57,380.34**	**59,244.98**	**(+) 3.25**
	पूर्व वर्ष से वास्तविक वृद्धि का प्रतिशत		**10.45**	**3.88**	**14.05**	**13.39**	**3.25**	

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

यद्यपि, विगत पांच वर्षों से कुल कर राजस्व में लगातार वृद्धि रही, किन्तु संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक कर संग्रहण प्रत्येक वर्ष कम रहा। कर राजस्व वृद्धि का प्रतिशत वर्ष 2017-18 से कम हो रहा है एवं यह कमी वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान अधिक रही।

संबंधित विभागों ने सूचित किया कि केन्द्रीय बिक्री कर (14.94 प्रतिशत) एवं राज्य वस्तु एवं सेवा कर (4.29 प्रतिशत) से राजस्व में कमी कोविड-19 महामारी, वाहनों पर करों में वृद्धि (8.18 प्रतिशत) गत वर्ष के समक्ष उच्च राजस्व लक्ष्य का आवंटन और राज्य आबकारी में वृद्धि (10.32 प्रतिशत) आबकारी शुल्क, लाइसेंस शुल्क, ईपीए एवं कम्पोजिट शुल्क में वृद्धि के कारण रही।

वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य का राजस्व एवं कर राजस्व का संयोजन **चार्ट 2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2: राज्य का राजस्व

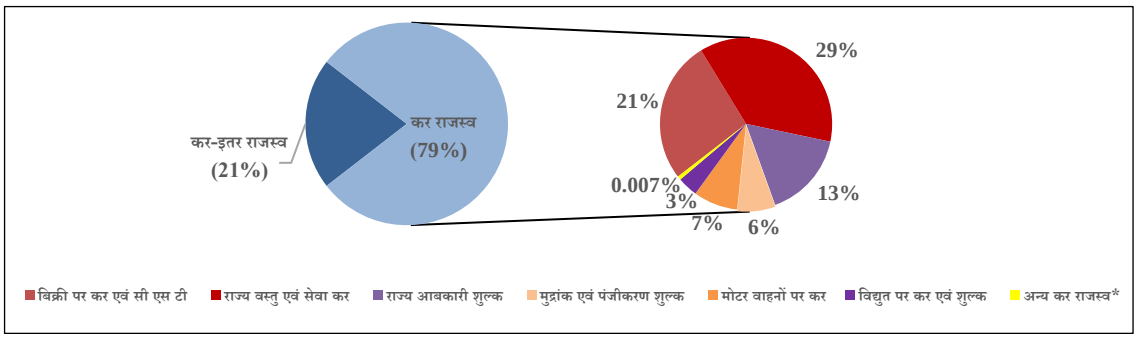

*अन्य कर राजस्वों में भू-राजस्व, माल एवं यात्रियों पर कर, वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क एवं अन्य कर सम्मिलित है।

5 अन्य कर में आय तथा व्यय पर कर (पेशे, व्यापार, आजीविका एवं रोजगार पर कर) के साथ कृषि भूमि के अलावा अचल सम्पत्तियों पर कर भी शामिल है।

1.1.3 वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान एकत्रित कर-इतर राजस्व के संबंध में संशोधित अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियों का विवरण **तालिका 1.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	संशोधित अनुमान / वास्तविक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2019-20 में 2018-19 पर वृद्धि (+)/कमी (-) की प्रतिशतता
अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	संशोधित अनुमान	4,250.00	4,200.00	4,900.00	6,000.00	6,600.00	
	वास्तविक	3,782.13	4,233.74	4,521.52	5,301.48	4,579.09	(-) 13.63
ब्याज प्राप्तियां	संशोधित अनुमान	1,860.58	2,002.97	4,924.14	5,810.44	4,039.38	
	वास्तविक	1,982.39	1,933.37	4,858.90	5,790.87	3,851.99	(-) 33.48
विविध सामान्य सेवायें	संशोधित अनुमान	885.72	859.39	888.31	1,171.34	1,150.93	
	वास्तविक	700.90	660.70	762.36	783.86	915.51	(+) 16.79
पुलिस	संशोधित अनुमान	213.00	220.15	333.73	360.95	428.51	
	वास्तविक	162.02	190.78	296.56	345.38	641.68	(+) 85.79
अन्य प्रशासनिक सेवायें	संशोधित अनुमान	162.44	222.35	228.41	258.82	264.87	
	वास्तविक	161.98	210.51	207.55	246.49	207.16	(-) 15.96
वृहद एवं मध्यम सिंचाई	संशोधित अनुमान	112.50	129.79	90.30	115.26	127.26	
	वास्तविक	68.72	112.77	277.72	179.31	77.19	(-) 56.95
वानिकी एवं वन्य जीवन	संशोधित अनुमान	111.65	123.95	173.82	154.01	145.18	
	वास्तविक	133.75	113.00	182.26	147.45	109.47	(-) 25.76
सार्वजनिक निर्माण	संशोधित अनुमान	79.51	95.30	107.37	126.50	251.80	
	वास्तविक	97.89	84.31	109.26	125.92	91.91	(-) 27.01
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	संशोधित अनुमान	108.99	115.74	152.34	166.01	221.44	
	वास्तविक	119.21	125.39	130.67	163.59	238.16	(+) 45.58
सहकारिता	संशोधित अनुमान	14.52	41.25	47.75	29.02	35.51	
	वास्तविक	14.64	44.10	63.11	22.24	9.11	(-) 59.04
अन्य कर- इतर प्राप्तियां[6]	संशोधित अनुमान	4,072.75	4,458.43	4,813.11	5,774.05	6,332.52	
	वास्तविक	3,704.24	3,906.90	4,323.81	5,496.42	4,992.89	(-) 9.16
योग	संशोधित अनुमान	**11,871.66**	**12,469.32**	**16,659.28**	**19,966.44**	**19,597.40**	
	वास्तविक	**10,927.87**	**11,615.57**	**15,733.72**	**18,603.01**	**15,714.16**	**(-) 15.53**
पूर्व वर्ष से वास्तविक वृद्धि का प्रतिशत		(-) 17.40	6.29	35.45	18.23	(-) 15.53	

स्रोतः संबंधित वर्षो के वित्त लेखे।

6 अन्य कर-इतर प्राप्तियों में पेट्रोलियम, लोक सेवा आयोग, जेल, आवास, ग्राम तथा लघु उद्योग, मछली पालन, लाभांश तथा लाभ, पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों में अंशदान और वसूली इत्यादि, शामिल हैं।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2019-20 में कर-इतर राजस्व संग्रहण संशोधित अनुमान से कम रहा एवं विगत वर्ष की तुलना में राजस्व संग्रहण में (15.53 प्रतिशत) कमी रही। विभाग ने सूचित किया कि यह मुख्य रूप से उदय[7] (33.48 प्रतिशत) के अंतर्गत विद्युत कंपनियों को दिये गये ऋण पर 'ब्याज प्राप्तियों' में कमी के कारण थी। इसके अतिरिक्त राजस्व में कमी अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग (13.63 प्रतिशत) एवं 'वानिकी एवं वन्य जीवन' (25.76 प्रतिशत) में कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरुप कमी थी। आगे, 'पुलिस' शीर्ष में वृद्धि (85.79 प्रतिशत) अन्य राज्य सरकारों, भारत सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, निजी कम्पनियों और अन्य एजेन्सियों हेतु तैनात पुलिस से अधिक प्राप्ति के कारण रही एवं विविध सामान्य सेवाओं (16.79 प्रतिशत) में वृद्धि वर्ष 2019-20 के दौरान सरकारी गारंटीयों में वृद्धि के परिणामस्वरुप गारंटी कमीशन की प्राप्ति में बढ़ोतरी के कारण रही।

1.2 राजस्व के बकाया का विश्लेषण

कुछ मुख्य शीर्षों में 31 मार्च 2020 को राजस्व बकाया की राशि ₹ 23,926.61 करोड़ थी, इसमें से ₹ 3,343.89 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसा कि **तालिका 1.4** में दर्शाया गया हैः

तालिका 1.4

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	1 अप्रैल 2019 को कुल बकाया राशि	31 मार्च 2020 को कुल बकाया और पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी का प्रतिशत		31 मार्च 2020 को पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि
1	वाणिज्यिक कर*	21,330.59	21,820.33	(+) 2.30	2,822.05
2	परिवहन[8]	63.10	64.14	(+) 1.65	37.45
3	भू-राजस्व*	258.19	179.69	(-) 30.40	80.02
4	पंजीयन एवं मुद्रांक	494.72	1,339.42	(+) 170.74	119.15
5	राज्य आबकारी	194.52	201.58	(+) 3.63	193.55
6	खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	240.04	321.45	(+) 33.91	91.67
योग		**22,581.16**	**23,926.61**	**(+) 5.96**	**3,343.89**

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

7 उज्जवल डिसकोम एश्योरेन्स योजना।

8 *31 मार्च 2019 के अंत मे दिखाई गयी कुल बकाया राशि से दिनांक 1 अप्रैल 2019 को दिखाई गयी बकाया राशि मे अंतर था (परिवहन ₹ 2.09 करोड़, भू राजस्व ₹ 220.61 करोड़ और वाणिज्यिक कर विभाग ₹ 10005.19 करोड़)। भू राजस्व विभाग ने सूचित किया कि अन्तर का कारण वर्ष 2018-19 की मांगों के शामिल होने से था एवं 1 अप्रैल 2019 के बकाया वास्तिविक थे। शेष विभागो से अन्तर के कारण प्राप्त नहीं हुए।

राशि किन स्तरों पर संग्रह के लिए बकाया थी इसकी सूचना मांगी गई लेकिन प्राप्त नहीं हुई (मार्च 2021)।

चार्ट 3 : राजस्व के बकाया (₹ करोड़ में)

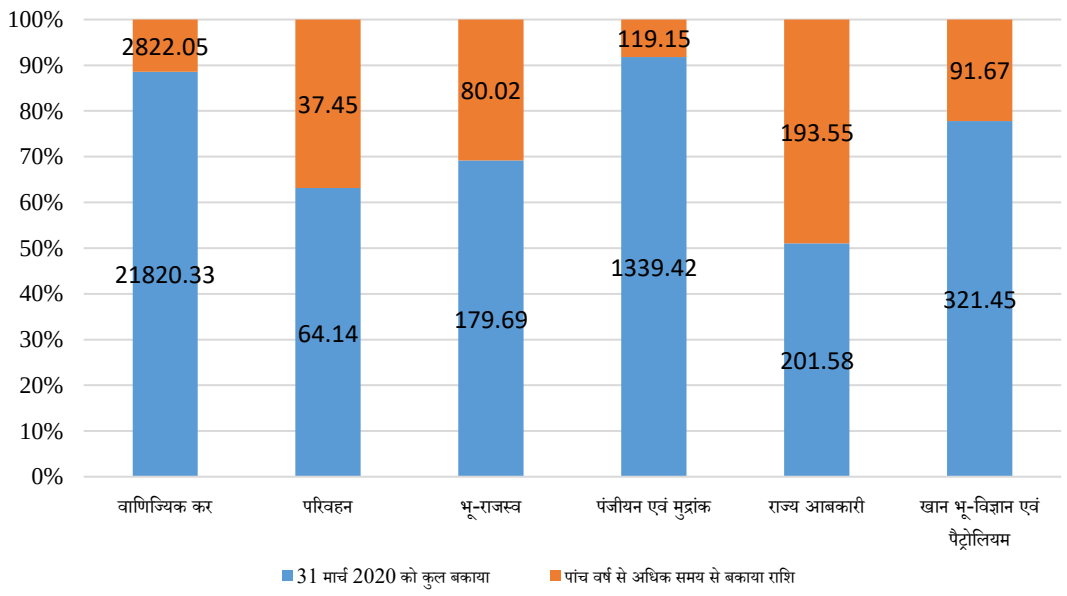

1.3 बकाया कर निर्धारण

वाणिज्यिक कर विभाग, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार वर्ष के प्रारम्भ में बकाया प्रकरण, वर्ष के दौरान निर्धारण हेतु देय प्रकरण, वर्ष के दौरान निस्तारित प्रकरण और वर्ष के अंत में निस्तारण से शेष रहे प्रकरणों का विवरण **तालिका 1.5** में दिया गया है:

तालिका 1.5

विभाग का नाम	प्रारम्भिक शेष	वर्ष 2019-20 के दौरान निर्धारण हेतु देय नये प्रकरण	कुल बकाया निर्धारण	वर्ष 2019-20 के दौरान निस्तारित प्रकरण	वर्ष के अन्त में शेष	निस्तारण का प्रतिशत (कॉलम 5 का 4 से)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वाणिज्यिक कर	39	5,30,677	5,30,716	5,30,698	18	99.99
पंजीयन एवं मुद्रांक[9]	4,980	8,691	13,671	8,549	5,122	62.53
खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	5,581	11,627	17,208	8,409	8,799	48.87
परिवहन	1,938	22,236	24,174	22,637	1,537	93.64

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

9 न्यायनिर्णीत प्रकरण।

यह देखा जा सकता है कि वाणिज्यिक कर विभाग ने अधिकतर प्रकरणों, जिनमें स्वःकर निर्धारण योजना के अन्तर्गत निस्तारित किये गये प्रकरण भी सम्मिलित है, का निस्तारण करने में अच्छा प्रदर्शन किया है। वाणिज्यिक कर विभाग की तुलना में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग तथा खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग में प्रकरणों का निस्तारण काफी कम रहा। इन विभागों को प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु कार्यवाही करनी चाहिए।

1.4 विभाग द्वारा खोजा गया कर अपवंचन

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2019-20 के दौरान कर अपवंचना के 285 प्रकरण ध्यान में आये, जिसमें से 234 प्रकरणों में निर्धारण/जांच पूर्ण की गई। इसके अतिरिक्त, 2019-20 तक शास्ति, इत्यादि सहित राशि ₹ 5,123.79 करोड़ की मांग कायम की गई, जिसमें से विभाग द्वारा राशि ₹ 4311.41 करोड़ की वसूली की गई। खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग ने सूचित किया कि वर्ष 2019-20 के दौरान कर अपवंचना के 87 प्रकरण ध्यान में आये, जिसमें से 80 प्रकरणों में निर्धारण/जांच पूर्ण की गई। इसके अतिरिक्त, 2019-20 तक शास्ति, इत्यादि सहित राशि ₹ 52.25 करोड़ की मांग कायम की गई, जिसमें से विभाग द्वारा राशि ₹ 2.74 करोड़ की वसूली की गई।

1.5 प्रतिदाय के बकाया प्रकरण

संबंधित विभागों की सूचना अनुसार विभागों द्वारा बताये अनुसार वर्ष 2019-20 के प्रारम्भ में प्रतिदाय के बकाया प्रकरणों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान अनुमत प्रतिदाय एवं वर्ष 2019-20 के अन्त में बकाया प्रकरणों की संख्या **तालिका 1.6** में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.6

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	विवरण	वाणिज्यिक कर		पंजीयन एवं मुद्रांक		परिवहन		खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया दावे	181	103.42	974	5.27	412	1.98	17	2.17
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	5,930	412.64	1,937	13.96	537	2.78	10	0.78
3	(i) वर्ष के दौरान निपटाये प्रतिदाय प्रकरण	3,135	203.03	1,861	9.22	367	2.08	4	0.25
	(ii) अस्वीकृत प्रकरणों की संख्या	1,686	182.51	63	0.07	28	0.11	0	0
4	वर्ष के अन्त में बकाया प्रकरण	1,290	130.52	987	9.94	554	2.57	23	2.70

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

विभागों को प्रतिदाय के बकाया प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु कार्यवाही करनी चाहिए। यह न केवल दावाकर्ता के लिये लाभकारी होगा बल्कि इससे देरी से भुगतान किये गये प्रतिदाय के प्रकरणों पर दिये जाने वाले ब्याज के भुगतान से भी सरकार की बचत हो सकेगी।

1.6 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

संविधान के अनुच्छेद 149 के अनुसार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संघ के और राज्यों के तथा किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं के सम्बन्ध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन्हे संसद द्वारा बनायी गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किया जाए। संसद द्वारा 1971 में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें अधिनियम (सीएजी डीपीसी अधिनियम) पारित किया गया। सीएजी डीपीसी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह भारत की और प्रत्येक राज्य की और प्रत्येक ऐसे संघ राज्य क्षेत्र की जिसमें विधानसभा है, की उन सभी प्राप्तियों (राजस्व एवं पूंजीगत दोनों) की लेखापरीक्षा करे एवं अपने आपको संतुष्ट कर लें कि उस बारे में सभी नियम और प्रक्रियाएं राजस्व के निर्धारण, संग्रहण और उचित आवंटन की प्रभावपूर्ण जांच पड़ताल सुनिश्चित करने के लिये परिकल्पित है और उसका सम्यक रूप से अनुपालन किया जा रहा है। भारत के सीएजी द्वारा जारी लेखापरीक्षा और लेखाओं पर विनियमन, 2007 जैसा कि वर्ष 2020 में संशोधित किया गया है एवं लेखापरीक्षा मानक 2017, प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के सिद्धान्तों को निर्धारित करते हैं।

1.7 लेखापरीक्षा योजना एवं लेखापरीक्षा का संचालन

विभिन्न विभागों के अधीन कार्यरत इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व की स्थिति, पूर्व के लेखापरीक्षा आक्षेपों की प्रवृत्ति तथा अन्य मापदण्डों के अनुसार उच्च, मध्यम एवं कम जोखिम में श्रेणीबद्ध किया गया है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना का जोखिम विश्लेषण, जिसमें सरकार के राजस्व तथा कर प्रशासन में सन्निहित महत्वपूर्ण बिन्दु यथा बजट उदघोषणा, राज्य वित्त पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग का प्रतिवेदन (राज्य एवं केंद्र), कर सुधार समिति की सिफारिशें, विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्व अर्जन का सांख्यिकीय विश्लेषण, विगत पांच वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा की व्याप्ति एवं इसके प्रभाव सम्मिलित हैं, के आधार पर किया गया है। वर्ष 2019-20 में वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक, एवं राज्य आबकारी विभाग में कुल 1,829 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयां थीं। जिनमें से, वर्ष के दौरान 391 इकाईयों की योजना बनायी गयी एवं 379 इकाईयों की (6,451 मानवदिवस उपयोजित) लेखापरीक्षा की गयी जो कि कुल लेखापरीक्षित इकाइयों की 20.72 प्रतिशत थी। कमी का कारण कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में लाकॅडाउन का लगना रहा।

1.8 लेखापरीक्षा आक्षेपों पर सरकार/विभागों का उत्तर

नियमों एवं प्रक्रियाओं के प्रावधानों के अनुरूप महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन एवं लेन-देनों की नमूना जांच के लिये महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1), राजस्थान, जयपुर सरकार/विभागों की लेखापरीक्षा करते हैं। निरीक्षण के पश्चात् निरीक्षण के दौरान पायी

गयी अनियमितताओं, जिन्हें मौके पर ही निस्तारित नहीं किया गया हो, को सम्मिलित करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं। निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षण किये गये कार्यालय के अध्यक्ष को एवं प्रतिलिपि उससे अगले उच्च प्राधिकारी को शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु जारी किये जाते हैं। कार्यालय अध्यक्षों/सरकार को निरीक्षण प्रतिवदनों में शामिल आक्षेपों की शीघ्रता से अनुपालना, कमियों एवं त्रुटियों में सुधार करना होता है। उन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने के एक माह के अन्दर प्रथम अनुपालना महालेखाकार को प्रस्तुत करनी होती है। गंभीर वित्तीय अनियमिततायें, विभागाध्यक्षों एवं सरकार को प्रतिवेदित की जाती हैं।

मार्च 2020 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण से पता चला कि मुख्य राजस्व अर्जित करने वाले चार विभागों के 1,727 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित राशि ₹ 1,053.38 करोड़ के 5,151 अनुच्छेद अक्टूबर 2020 के अन्त में बकाया थे। जून 2020 के आंकड़ों को विगत दो वर्षों के आंकड़ों के साथ **तालिका 1.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7

विवरण	जून 2018 (दिसम्बर 2017 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदन)	जून 2019 (दिसम्बर 2018 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदन)	जून 2020 (दिसम्बर 2019 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदन)	अक्टूबर 2020 (मार्च 2020 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदन)
निस्तारण हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,179	1,720	1,701	**1,727**
बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या	6,100	5,097	5,100	**5,151**
सन्निहित राजस्व राशि (₹ करोड़ में)	1,208.54	1,204.29	1,063.82	**1,053.38**

1.8.1 31 अक्टूबर 2020 के अंत में बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा अनुच्छेदों तथा उनमें सन्निहित राशि का विभागवार विवरण **तालिका 1.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.8

क्र.सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या	सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)
1	वाणिज्यिक कर	बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर	428	1,579	376.79
2	भू-राजस्व	भू-राजस्व	101	489	224.97
3	पंजीयन एवं मुद्रांक	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	1,070	2,775	365.04
4	राज्य आबकारी	राज्य आबकारी शुल्क	128	308	86.58
योग			**1,727**	**5,151**	**1,053.38**

तालिका से देखा जा सकता है कि लंबित बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में अधिकतम है जबकि लंबित अनुच्छेदों में सम्मिलित राशि वाणिज्यिक कर विभाग में अधिकतम है।

चार्ट 4 : बकाया अनुच्छेद एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

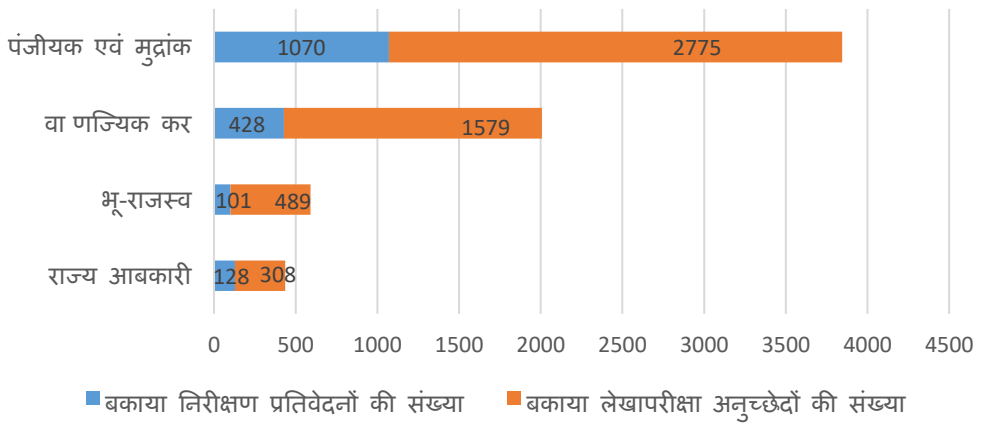

1.8.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों के निस्तारण की शीघ्र प्रगति एवं निगरानी के लिये सरकार ने लेखापरीक्षा समितियों[10] का गठन किया। वर्ष 2019-20 के दौरान हुई लेखापरीक्षा समिति/लेखापरीक्षा उप-समितियों की बैठकों तथा निस्तारित किये गये अनुच्छेदों का विवरण **तालिका 1.9** में उल्लेखित है:

तालिका 1.9

क्र. सं.	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या	लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों की संख्या	निस्तारित अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	वाणिज्यिक कर	2	5	81	0.21
3	भू-राजस्व	3	5	13	2.42
4	पंजीयन एवं मुद्रांक	2	10	422	30.78
5	राज्य आबकारी	2	2	33	2.80
योग		**9**	**22**	**549**	**36.21**

यह देखा जा सकता है कि वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक एवं राज्य आबकारी विभागों में आयोजित लेखापरीक्षा उप-समितियों की बैठकों में राशि ₹ 36.21 करोड़ के 549 अनुच्छेदों का निस्तारण किया गया। भू-राजस्व और राज्य आबकारी विभागों को बकाया

10 राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक 1/2005 दिनांक 18 जनवरी 2005 के अनुसार संबंधित विभागों के सचिव एवं महालेखाकार/उनके प्रतिनिधि को शामिल करते हुये लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया गया और यह निश्चित किया गया कि लेखापरीक्षा समिति की एक बैठक का आयोजन प्रत्येक तिमाही में किया जाये। इसके अतिरिक्त, संबंधित विभाग के अधिकारियों व महालेखाकार के प्रतिनिधियों को मिलाकर लेखापरीक्षा उप-समितियों का गठन भी किया गया है।

अनुच्छेदों के निपटान के लिए लेखापरीक्षा समिति/उप-समिति की और अधिक बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता है।

1.8.3 प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों की प्रतिक्रिया

तथ्यात्मक विवरण जारी किये जाने के बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित प्रारूप अनुच्छेद महालेखाकार द्वारा संबंधित विभागों[11] के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित कर यह अनुरोध करते हुये भेजे जाते हैं कि वे उनके उत्तर छः सप्ताह में भिजवा दें। सरकार/विभाग से उत्तर प्राप्त नहीं होने के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक अनुच्छेद के अंत में निरपवाद रूप से दर्शाया जाता है।

40 प्रारूप अनुच्छेद (प्रतिवेदन के 23 अनुच्छेदों में संकलित), संबंधित चार विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को जून और नवम्बर 2020 के मध्य प्रेषित किये गये थे। तथापि, दो प्रारूप अनुच्छेदों [12] का जबाव प्रतीक्षित है (मार्च 2021)

1.8.4 लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति

राजस्थान राज्य विधानसभा की जनलेखा समिति के वर्ष 1997 में बनाये गये नियमों एवं कार्य विधियों के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत करने के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर कार्यवाही प्रारम्भ करेगें। प्रतिवेदन को विधान पटल पर रखने के तीन महीने में सरकार द्वारा क्रियान्विति विषयक टिप्पणियां जनलेखा समिति के विचारार्थ प्रेषित करनी चाहिए। इन प्रावधानों के होते हुए भी, प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर टिप्पणियां विलम्ब से प्रस्तुत की जा रही थीं। राजस्थान सरकार के राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019 को समाप्त वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, जिनमें कुल 138 अनुच्छेद (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) शामिल थे, को राज्य विधानसभा के समक्ष 29 मार्च 2016 से 21 अगस्त 2020 के मध्य प्रस्तुत किया गया। संबंधित विभागों से इन अनुच्छेदों की क्रियान्विति विषयक टिप्पणियों की प्राप्ति में विलम्ब छः से 103 दिवस के बीच था। जनलेखा समिति द्वारा वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित कुल 89 चयनित अनुच्छेदों पर चर्चा की गयी और 63 अनुच्छेदों पर इनकी सिफारिशों को ग्यारह[13] प्रतिवेदनों (2019-20) में सम्मिलित किया गया।

---

11 कर संग्रहण करने वाले चार विभाग अर्थात वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक एवं राज्य आबकारी विभाग।

12 भू - राजस्व विभाग।

13 ग्यारह प्रतिवेदनः वाणिज्यक कर (2), भू - राजस्व (2), मोटर वाहन कर (2), पंजीयन एवं मुद्रांक (1), राज्य आबकारी (2) खान एवं भू-विज्ञान (2) से सम्बंधित है।

1.9 भू-राजस्व विभाग में लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर कार्यवाही करने हेतु अपनायी गयी प्रणाली की समीक्षा

विभागों/सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विशिष्टता के साथ दर्शाये गये मुद्दों पर अपनायी गयी प्रणाली की समीक्षा करने के लिये, भू-राजस्व विभाग के संबंध में विगत पांच वर्षों के निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाहित अनुच्छेदों पर की गयी कार्यवाही का मूल्यांकन किया गया।

स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये प्रकरणों तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये प्रकरणों पर भू-राजस्व विभाग के कार्य निष्पादन पर चर्चा आगामी अनुच्छेदों 1.9.1 से 1.9.2 में की गयी है।

1.9.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

भू-राजस्व विभाग के अवधि 2015-16 से 2019-20 के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में शामिल अनुच्छेदों तथा उनकी स्थिति का संक्षिप्त विवरण **तालिका 1.10** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.10

(₹ करोड़ में)

वर्ष तक स्थिति	प्रारम्भिक शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निस्तारण			वर्ष के अन्त में शेष		
	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि
2015-16	113	300	441.70	10	98	8.75	29	84	140.74	94	314	309.71
2016-17	94	314	309.71	13	137	50.14	22	110	60.90	85	341	298.95
2017-18	85	341	298.95	12	65	8.52	20	94	23.36	77	312	284.11
2018-19	77	312	284.11	13	101	53.38	01	55	7.71	89	358	329.78
2019-20 (जून 2020 तक)	89	358	329.78	17	211	131.72	05	80	236.53	101	489	224.97

वर्ष 2019-20 के दौरान, तीन लेखापरीक्षा समिति एवं पांच लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों का आयोजन हुआ लेकिन केवल तेरह अनुच्छेदों का निस्तारण हुआ। बकाया नि.प्र. एवं अनुच्छेदों की अधिक संख्या को देखते हुए इस सम्बन्ध में स्थिति में सुधार हेतु अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

1.9.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल अनुच्छेदों और स्वीकार किये गये प्रकरणों की वसूली की स्थिति

विगत पांच वर्षों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित भू-राजस्व विभाग से संबंधित अनुच्छेद, जो विभाग द्वारा स्वीकार किये गए और उनमें वसूली की गयी राशि का विवरण **तालिका 1.11** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.11

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेदों की संख्या	अनुच्छेदों का मौद्रिक मूल्य	स्वीकार किये गये अनुच्छेदों की संख्या	स्वीकार किये गये अनुच्छेदों का मौद्रिक मूल्य	वर्ष 2019-20 के दौरान वसूल की गयी राशि	स्वीकार किये गये प्रकरणों में 31 मार्च 2020 तक वसूली की समेकित स्थिति
2014-15	4	4.73	4	4.25	0.00	2.87
2015-16	5	51.19	5	51.16	0.06	46.28[14]
2016-17	2	176.44	2	176.44	0.12	0.43
2017-18	2	2.80	2	2.80	0.00	0.79
2018-19	2	4.21	2	3.89	0.23	0.23
योग	**15**	**239.37**	**15**	**238.54**	**0.41**	**50.60**

कुल आक्षेपित राशि ₹ 239.37 करोड़ के समक्ष विभाग द्वारा ₹ 238.54 करोड़ स्वीकार किये गये, जिसमे से विभाग द्वारा राशि ₹ 50.60 करोड़ वसूल की गयी। अनुच्छेदों की स्वीकार की गयी राशि में से केवल 21.21 प्रतिशत की वसूली की गयी।

यह अनुशंषा की जाती है कि भू-राजस्व *विभाग को स्वीकार की गई राशि की वसूली प्राथमिकता पर करने के लिये कदम उठाने चाहिए।*

1.10 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान की गयी स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

379 लेखा परीक्षित इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 5,954 प्रकरणों में ₹ 193.91 करोड़ राशि के अवनिर्धारण, कम आरोपण/राजस्व हानि आदि का पता चला। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के 5,239 प्रकरण स्वीकार किये जिनमें राजकीय राजस्व राशि ₹ 378.58 करोड़ निहित थी, जिसमें से ₹ 39.43 करोड़ राशि के 1,386 प्रकरण वर्ष 2019-20 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे। 31 मार्च 2020 तक संबंधित विभागों ने 2,723 प्रकरणों में ₹ 35.36 करोड़ वसूल किये।

1.11 प्रतिवेदन के इस भाग का आवृत्त क्षेत्र

इस प्रतिवेदन में 23 अनुच्छेद शामिल हैं। अनुच्छेदों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 54.94 करोड़ है। इनकी चर्चा अध्याय-II से V में की गई है। विभागों/सरकार ने ₹ 41.25 करोड़ राशि की लेखापरीक्षा टिप्पणियां स्वीकार की तथा शेष प्रकरणों में जवाब प्रतीक्षित (मार्च 2021) है। स्वीकार की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों में से विभागों द्वारा मार्च 2021 तक ₹ 11.06 करोड़ राशि की वसूली की गई जो कि वर्ष 2019-20 के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से की गई वसूली (₹ 35.36 करोड़) के अतिरिक्त थी। इसके अलावा,

14 ₹ 46.28 करोड़ में से ₹ 41.46 करोड़ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुच्छेद संख्या 4.5 (भूमि का सरकार कों अप्रत्यावर्तन) से सम्बंधित है। विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा सुझाव के अनुरूप ही कार्यवाही की है।

सम्बंधित विभागों ने वर्ष 2019-20 के दौरान पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बंधित आक्षेपों के संबंध में ₹ 34.68 करोड़ की वसूली की। इस प्रकार, लेखापरीक्षा के आधार पर वर्ष के दौरान की गई कुल वसूली ₹ 81.10 करोड़ थी।